आदेश क्रमांक / तिथि Order No./Date	आदेश एव पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कारवाई तिथि सहित Action taken on order with date

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी ।

आदेश

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, खूँटी के पत्रांक 189/चु0को0 दिनांक 03.04.2014 के द्वारा थाना प्रभारी कर्रा के प्रतिवेदन के आधार पर वाद प्रारंभ किया गया तथा विपक्षी को कारण पृच्छा सूचना निर्गत किया गया।

थाना प्रभारी कर्रा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदक को शस्त्र का भौतिक रूप से सत्यापन कराने तथा जमा कराने का प्रयास किया गया, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। थाना प्रभारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि उक्त आदेश का पालन आवेदक द्वारा नहीं किया गया जो चुनाव से संबंधित आदेश का उल्लंधन है।

विपक्षी के पुत्र शिव शंकर गंझू द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है तथा प्रतिवेदित किया है कि उनक पिता चामू राम गंझू के नाम से D.B.B.L. Gun No. 7154एवं अनुज्ञप्ति संख्या XX39 निर्गत है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। थाना प्रभारी के निदेश पर तथा कर्रा थाना क्षेत्र में उग्रवाद बढ़ने के कारण गन सन् 1999 ई0 में थाना में जमा कर दिया गया है। विपक्षी के पुत्र शिव शंकर गंझू के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। चूँकि इनके गाँव चारो ओर से जंगल से घिरा है, जिससे जंगली जानवरों से बचाव हेतु एवं जानमाल की सुरक्षा हेतु आवश्यकता है। इनके द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के कार्यालय में आवेदन दाखिल किया गया है। उपरोक्त के आलोक में आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, खूँटी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव, विपक्षी के पुत्र द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि विपक्षी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। अतः इनके पुत्र शिव शंकर गंझू द्वारा अपने नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः विपक्षी को निर्गत लाईसेंस नं0 III 5 D.b.B.L को पुत्र के नाम निर्गत करने हेतु शस्त्र दण्डाधिकारी, खूँटी नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
खूँटी।

उपायुक्त,
खूँटी।